श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 21.07.2012 को समाहरणालय सभागार में सम्पन्न विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थितिः-

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. श्री अजय कुमार तिवारी, व0उ0स0 प्रभारी, जिला प्रोग्राम कार्यालय, मुंगेर।
4. श्री कुशेश्वर दास, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
5. जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
6. श्रीमती मीना सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1, मुंगेर।
8. कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, मुंगेर।
9. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर।
10. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर।
11. कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मुंगेर।
12. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुंगेर।

सर्वप्रथम सरकार द्वारा संचालित विकासोन्मुखी विभागीय योजनाओं के प्रगति की समीक्षा हेतु प्रतिवेदन संकलन के लिए वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी, जिला विकास शाखा एवं जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आगामी बैठकों के पूर्व निम्नलिखित महत्वपूर्ण विभागों का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन कमवार संकलित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे :-

1. मुख्यमंत्री जिला विकास योजना।
2. सांसद/विधायक/पार्षद योजना क्षेत्रीय विकास योजना।
3. कब्रिस्तान घेराबन्दी।
4. एकीकृत कार्य योजना (IAP)।
5. आपकी सरकार आपके द्वार अन्तर्गत ली गयी योजना।
6. मुख्यमंत्री सेतू/सड़क योजना।
7. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना।
8. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना।
9. विभिन्न विभागीय योजनाओं के माध्यम से जिला स्तर से विभागीय प्रमंडलों को आवंटित योजनाएं।
10. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा वित्त पोषित योजनाएं।

तदोपरान्त पूर्व में दिनांक 05.05.12 को सम्पन्न मासिक समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए विभागवार विकासपरक योजनाओं में शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने के लिए निम्न निदेश दिये गये :-

<u>सहायक/कनीय अभियंता के स्थानान्तरण की स्थिति :-</u>

- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पत्रांक 125, दिनांक 16.04.12 द्वारा असरगंज में प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता अख्तर हुसैन के बारे में उप विकास आयुक्त, मुंगेर ने बताया कि वे अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होते हैं। इसी दौरान कार्यपालक अभियंता, ग्रमीण कार्य प्रमंडल-1 ने बताया कि वे संभवतः ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 के सहायक अभियंता हैं। इस हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 इसके संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करेंगे कि क्या वे अपने कार्य पर उपस्थित रहते हैं अथवा नहीं। चूँकि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 स्वयं बैठक में अनुपस्थित हैं, अतः उनके विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा करना संभव प्रतीत नहीं होता है।
- पूर्व आयोजित बैठक में सभी कार्यपालक अभियंताओं को इस प्रमाण पत्र के साथ सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था कि उनके प्रमंडल के सभी सहायक एवं कनीय अभियंताओं का एल0पी0सी0 उनके प्रमंडल में प्राप्त है और वेतन इसी प्रमंडल से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो सहायक एवं कनीय अभियंता इस जिले से वेतन प्राप्त नहीं करते हैं उसकी भी सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। इस संबंध में कार्य0 अभि0, पी0एच0ई0डी0, मुंगेर ने अवगत कराया कि महेन्द्र प्रसाद एवं किशोर पांडेय, कनीय अभियंता सीतामढ़ी जिले से स्थानान्तरित होकर आये हैं तथा उनसे संबंधित कोई विवरण इस जिले में संधारित नहीं है। साथ ही पूर्व जिले से अबतक उनका एल0पी0सी0 भी नहीं आया है। निदेश दिया गया कि उपरोक्त ऐसे सभी मामलों में संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने अधिशासी विभाग को इस बात की सूचना पत्र के माध्यम से देंगे कि संबंधित अभियंताओं के उपर जो पावना अथवा प्रभार है, उससे मुक्त करने की कार्रवाई की जाये।
- विगत बैठक में कार्य0 अभि0, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 ने स्वयं अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया था कि कनीय अभियंता, रामदर्शन राम इस जिले से वेतन नहीं लेते हैं जबकि उनका यहाँ पदस्थापन हुए लगभग एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है। उक्त मुद्दे पर दिनांक 05.05.12 के बैठक की कार्यवाही जो ज्ञापांक 103, दिनांक 10.05.12 से प्रेषित है, में प्रदत्त निदेश के निमित्त कार्य0 अभि0, ग्रा0कार्य0प्रमं0-2 द्वारा कृत कार्रवाई की सूचना अबतक अप्राप्त है। अतः निदेश दिया जाता है कि इससे संबंधित सूचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- इसी प्रकार सहायक अभियंता, शंभू प्रसाद के बारे में पूर्व आयोजित बैठक में ही कार्य0अभि0, एन0आर0ई0पी0, मुंगेर ने बताया था कि वे काफी समय से कार्यालय से अनुपस्थित हैं। आज समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि उक्त सहायक अभियंता का स्थानान्तरण जून माह में पटना जिला हो गया है और उन्होंने जुलाई माह में पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने पटना में योगदान दे दिया है। कार्य0 अभि0, एन0आर0ई0पी0 पर यह जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है कि उनकी अनुपस्थिति अवधि का विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाये कि वे कितने समय से मुंगेर जिले में उपस्थित थे और यहाँ उनके उपर वसूली योग्य कुछ राशि बकाया भी है।
- इसी प्रकार भवन प्रमंडल में योगेन्द्र मंडल, एस0डी0ओ0-2 भी सीतामढ़ी जिले से स्थानांतरित होकर लगभग एक साल पूर्व ही आये हैं और उनका एल0पी0सी0 अभी तक नहीं प्राप्त होने के कारण इस जिले से वेतन प्राप्त नहीं किया जाता है। साथ ही उनका स्थानान्तरण जून माह में बेगूसराय जिला में हो गया है। निदेश दिया गया कि उक्त अभियंता के स्थानान्तरण के उपरान्त उनका सम्पूर्ण प्रभार किसी सहायक अभियंता को दिलाते हुए उक्त अभियंता के नवपदस्थापित जिले बेगूसराय को यह सूचना भेजी जाये कि इस जिले में पदस्थापन अवधि में उनके द्वारा कभी वेतन नहीं लिया गया है अर्थात् इस जिले से एल0पी0सी0 नहीं भेजी जायेगी और इस जिले के पूर्व के पदस्थापन स्थान से एल0पी0सी0 की मांग की जाये।
- कार्य0 अभि0, एन0आर0ई0पी0, मुंगेर ने बताया कि पूर्व में महेश झा, एन0आर0ई0पी0 कार्यालय में पदस्थापित थे तथा कार्यालय में उनके पद के समापन के उपरान्त उनकी सेवा योजना विभाग को नहीं सौंपी गयी है। उनका अपने मूल कैडर ग्रामीण विकास विभाग में योगदान देना चाहिए था, किन्तु समीक्षा के दौरान यह सूचना प्राप्त हुई कि वे यदा-कदा मुंगेर जिला में धुमते रहते हैं तथा विकास शाखा में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास करते हैं। इस निमित्त उप विकास आयुक्त/वरीय उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विकास शाखा/कार्य0 अभि0, एन0आर0ई0पी0 एवं स्थानीय क्षेत्रीय अभि0 प्रमंडल को निदेश दिया कि यदि वे मुंगेर में धुमते नजर आते हैं तो उनके कृत्यों के संबंध में विभाग को अवगत कराया जाय और सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी परिस्थिति में उनकी उपस्थिति किसी भी कार्यालय में नहीं बनायी जाये।
- बैठक के दरम्यान कार्य0 अभियंता, एन0आर0ई0पी0, मुंगेर एवं स्थानीय क्षेत्रीय अभियंत्रण प्रमंडल ने आश्वस्त किया कि अभय कुमार चन्दन को छोड़कर उप विकास आयुक्त कार्यालय के सभी संबंधित सहायक अभियंताओं का एल0पी0सी0 कार्यालय को प्राप्त है।

कब्रिस्तान घेराबन्दी :-

- चूँकि आज की बैठक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर अनुपस्थित हैं, अतः उनके विभाग के कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकी। परन्तु दिनांक 05.05.12 को सम्पन्न बैठक में प्रदत्त निदेश के बावजूद कब्रिस्तान घेराबन्दी से संबंधित प्रतिवेदन अब तक उपलब्ध नहीं कराया जाना खेदजनक है। समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि कार्य0 अभि0, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 के कई कनीय अभियंता यथा, गजेन्द्र प्रसाद सिंह, सिराज अहमद इत्यादि द्वारा अग्रिम लेकर योजना पूर्ण नहीं करने के कारण कब्रिस्तान घेराबन्दी का प्रतिवेदन कार्य0 अभि0 द्वारा नहीं भेजा जा सका है। पिछले बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं, इसकी की सूचना भी कार्य0 अभि0 द्वारा नहीं दी गयी हैं जबकि समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि उक्त प्रमंडल द्वारा कब्रिस्तान घेराबन्दी की योजनाओं के कियान्वयन में गंभीर अनियमितता बरती गयी है।
- बंगलवा स्थित कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना की जांच कार्य0 अभि0, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1 के नेतृत्व में करने का निदेश पूर्व में दिया गया था, किन्तु दो माह बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रतिवेदन अप्राप्त रहना यथोचित नहीं है। इस हेतु निदेश दिया गया कि कार्य0 अभि0, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1 उक्त कब्रिस्तान घेराबंदी योजना की जांच कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।
- यह ज्ञात होना आश्चर्यजनक है कि पिछले एक साल में कब्रिस्तान घेराबन्दी अन्तर्गत ली गयी योजनाओं की संख्या अत्यन्त कम है जबकि प्राथमिकता सूची में अभी भी योजनाएं शेष हैं। इस निमित्त प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, विकास शाखा को निदेश दिया गया कि शेष कब्रिस्तानों की घेराबन्दी के लिए शीघ्र कार्रवाई करें एवं जिन योजनाओं में प्राक्कलन एवं अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त है उन योजनाओं को चेक स्लीप के साथ कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संचिका उपस्थापित करेंगे।
- समर्पित प्रतिवेदनानुसार कब्रिस्तान घेराबन्दी योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 से लेकर वर्ष 2011-12 में ली गयी कुल 67 योजनाओं में 03 योजना रद्द की गयी है एवं मात्र 43 योजनाएं पूर्ण है। शेष 21 योजनाएं अपूर्ण है जिसमें 04 योजना कार्य0 अभि0, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2, 08 योजना प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर, 03 योजना प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज, 03 योजना प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर तथा 01-01 योजना प्रखंड विकास पदाधिकारी,

धरहरा, मुंगेर एवं खड़गपुर के स्तर से लंबित है। शेष पूर्ण 43 योजनाओं में भी पूर्ण राशि विमुक्त किये जाने के आधार पर पिछले वर्षो में योजना को पूर्ण दिखाया जाता रहा है। यह परंपरा उचित नहीं है तथा पूर्ण योजनाओं में भी पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अंतिम मापी पुस्त के आधार पर योजना की पूर्णता अथवा अपूर्णता की जांच एवं उसका प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त एवं प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला विकास शाखा तैयार करेंगे। जिन मामलों में संबंधित एजेन्सी द्वारा कब्रिस्तान घेराबन्दी का कार्य पूर्ण दिखाया गया है किन्तु पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भी संबंधित एजेन्सी से इस माह तक निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे।

- कब्रिस्तान की घेराबन्दी के लिए वर्ष 2009-10 में 06 योजना, वर्ष 2010-11 में 09 योजना एवं वर्ष 2011-12 में 08 योजना ली गयी है अर्थात् कुल 23 योजनाओं में से 14 योजनाएं अपूर्ण हैं जबकि उक्त योजनाओं की पूर्णता की अवधि तीन माह से अधिक नहीं थी एवं सभी योजनाएं अत्यन्त छोटी है। अतः निदेश दिया गया कि संबंधित एजेन्सी उक्त तीनों वर्षो की अपूर्ण योजनाओं को तत्काल पूर्ण करने की कार्रवाई करेंगे।
- कब्रिस्तान घेराबन्दी योजनान्तर्गत ली गयी कुल 67 योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि लगभग 449.917 लाख रू0 के विरूद्ध 352.561 लाख रू0 व्यय किया गया है तथा राज्य मुख्यालय से प्राप्त आवंटन के उपरान्त 263.439 लाख रू0 अभी भी अवशेष है। अवशेष उपलब्ध राशि से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012-13 में कम-से-कम 30 योजनाओं का चयन संभव है। अतएव वर्ष 2012-13 में लगभग सभी योजनाओं को शामिल करने के लिए राशि उपलब्ध है तथा युद्धस्तर पर नयी योजनाओं के चयन, प्राक्कलन तैयार करने एवं प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई संबंधित शाखा द्वारा की जाय।

<u>विधायक/पार्षद योजना :-</u>

- समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि विधायक योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 से लेकर 2010-11 तक कुल 730 योजनाओं का प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें 05 योजना को रद्द करते हुए 311 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा 414 योजना अपूर्ण है। सर्वाधिक लंबित योजना कार्य0 अभि0, एन0आर0ई0पी0, ग्रामीण कार्य प्रमंडल एवं प्रखड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर के पास क्रमशः 174, 82 एवं 55 योजना अपूर्ण दिखायी गयी है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि अंतिम किस्त का 10 प्रतिशत राशि विमुक्त करते हुए योजनाएं शामिल है जबकि विमुक्त राशि का 90 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र, स्थलीय जांच प्रतिवेद, योजना पट्ट तथा जांच

पदाधिकारी की फोटो सहित अंतिम अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया। चूँकि यह योजना पिछले वित्तीय वर्ष में ही समाप्त हो चुका है एवं अप्रैल 2011 से उक्त विधायक क्षेत्रीय योजना को समाप्त कर मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ की गयी है। अतः पूर्व वर्ष में चयनित योजना, जिनका पूर्णता अवधि तीन माह है, उनमें इतने अधिक योजनाओं का अपूर्ण रहना अत्यन्त निराशाजनक है। अतः सभी संबंधित एजेन्सी यथा- कार्य0 अभि0, एन0आर0ई0पी0/ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2/स्थानीय क्षेत्रीय अभियंत्रण प्रमंडल/कार्य0 पदा0, नगर परिषद, मुंगेर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर/संग्रामपुर/असरगंज/ टेटियाबंबर विधायक योजना में वर्ष 2008-09 से लेकर 2010-11 तक ली गयी सभी योजनाओं की अद्यतन जांच कर पूर्ण योजनाओं का पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे तथा फोटोग्राफ एवं अन्य कागजातों के साथ अंतिम किस्त 10 प्रतिशत राशि की मांग करेंगे।

- कार्य0 अभि0, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण प्रमंडल ने बताया कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2010-11 में ली गयी सभी योजनाएं रूकी हुई हैं, क्योंकि उन सभी योजनाओं में कनीय अभियंता, गजेन्द्र प्रसाद सिंह कार्य कर रहे थे एवं वर्तमान में वे मनरेगा के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के कारण जेल में बंद है। ऐसे मामलों में जिसमें संबंधित कनीय अभियंता को बदलने की आवश्यकता होती है तो उसे बदल कर कार्य कराना कार्य0 अभि0 के स्वयं के क्षेत्राधिकार में है, क्योंकि योजनाएं संबंधित प्रमंडल को कार्यान्वयन हेतु दी गयी है न कि किसी व्यक्ति विशेष कनीय अभियंता को दी गयी है एवं विशेष तौर पर इन मामलों में कार्य0 अभि0 अभिकर्त्ता बदल कर वास्तविक किये गये कार्य की नये सिरे से मापी कराने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा अन्य किसी कनीय अभियंता को योजना आवंटित कर कार्य नहीं करायेंगे।
- कार्य0 अभि0, एन0आर0ई0पी0 द्वारा यह बताया गया कि कनीय अभियंता को अग्रिम उपलब्ध कराया गया है तथा उनके जेल जाने अथवा स्थानान्तरण होने तथा राशि का सामंजन नहीं होने के कारण कई योजनाओं में प्रगति नहीं हो पा रही है। साथ ही बताया गया कि योजना के कार्यान्वयन के लिए कनीय अभियंता को Account Payee Cheque के माध्यम से अग्रिम दिया जाता है। Account Payee Cheque होने के कारण संबंधित अभियंता के स्थानान्तरण होने तथा अन्य परिस्थितियों में दिये गये राशि का सामंजन की समस्या होती है और इन्हीं कारणों से कनीय अभियंता द्वारा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से वेतन नहीं लिया जाता है एवं इसकी भी संभावना बनती है कि विपरीत परिस्थितियों में संबंधित कनीय